(c) review and make suggestions regarding the streamlinking of existing procedures;

(d) recommend punitive and deterrent action to be taken; and

(e) evaluate the security threat which such agents can pose by developing clandestine contacts within the Defence set-up, securing access to sensitive information and capacity to blackmail.

3. The first meeting of the Committee would be held at 9.15 A.M. on Wednesday, the 15th April, 1987 in the room of Defence Secretary.

Sd/-(N. N. VOHRA)
Additional Secretary (V) 14 4.1987.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति

542. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:
श्री राम चन्द्र विकल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें होनी थीं इसी अवधि के दौरान वास्तव में ऐसी कितनी बैठकें हुई और अपेक्षित संख्या में बैठकें आयोजित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में पिछले 18 वर्षों के दौरान राजभाषा अधिनियम और वार्षिक कार्यक्रम को कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं और क्या अब वर्ष 1987-88 में इन्हें कार्यान्वित किया जाएगा ;

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान राजभाषा विभाग से कितने पत्र, आदेश इत्यादि प्राप्त हुए और उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव, अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा किये जाने वाले समूचे कार्य में से कितने प्रतिशत कार्य उनके द्वारा राजभाषा अर्थात् हिन्दी में किया जाता है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक तिमाही में एक बार की जा सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में 31 जुलाई, 1985 को समिति का पुनर्गठन किया गया था। तब से ये बैठकें नवम्बर 1985 जून, 1986 तथा जनवरी, 1987 में आयोजित की गयीं। मंत्रालय का यह प्रयास होता है कि ये बैठकें तभी आयोजित की जायें जब संसद का सत्र न चल रहा हो या परामर्शदात्री समिति अथवा अन्य संसदीय निकायों की बैठकें न चल रही हों। आमतौर पर, सर्वसम्बन्धित की सुविधानुसार बैठक के आयोजन में कठिनाई होती है।

(ख) जैसा कि राजभाषा अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित है संकल्प, सामान्य आदेश, अधिसूचना, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट और संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले सरकारी कागजात जैसे सभी प्रलेख हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किये जाते हैं। जहां तक राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये वार्षिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का प्रश्न है, यह विभाग समय-समय पर हिन्दी सप्ताह, हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति और हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित कर रहा है। वर्ष 1987-88 के वार्षिक कार्यक्रम को पूरी तरह कार्यान्वित करने के प्रयास जारी हैं।

(ग) गत तीन वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राजभाषा विभाग से 379 पत्र और परिपत्र प्राप्त हुए। इन पत्रों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग

से सम्बन्धित विभिन्न सुझावों और अनुदेशों पर विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में विचार विमर्श किया जाता है और उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

(घ) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव, अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य अपने सरकारी टिप्पणों तथा "क" और "ख" क्षेत्रों से प्राप्त हिन्दी के पत्रों के उत्तरों में हिन्दी का प्रयोग करते हैं।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

543. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री राम चन्द्र विकल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें होनी थीं और इसी अवधि के दौरान वास्तव में ऐसी कितनी बैठकें हुई और अपेक्षित संख्या में बैठकें आयोजित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में राजभाषा अधिनियम और वार्षिक कार्यक्रम को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण है और क्या अब वर्ष 1987-88 में उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा;

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान राजभाषा विभाग से कितने पत्र, आदेश इत्यादि प्राप्त हुए, उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव, अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा किए जाने वाले समग्र कार्य में से कितने प्रतिशत कार्य उनके द्वारा राजभाषा हिन्दी में किया जाता है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) हर तिमाही में एक बैठक की जानी होती है। वर्ष 1985 तथा 1986 के दौरान 5 बैठकें हुई। समिति के पुनर्गठन में विलम्ब के कारण लगभग दो तिमाहियों में बैठकें नहीं हुई। एक तिमाही में बैठक अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित करनी पड़ी। तथापि, अब बैठकें हर तिमाही में हो रही हैं।

(ख) राजभाषा अधिनियम की धारा (3) के उपबंधों के कार्यान्वयन में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की भी ऐसी ही स्थिति है। पूर्णतः कार्यान्वयन न होने का मुख्य कारण अधिकांश कर्मचारियों का हिन्दी में प्रवीण न होना है। वर्ष 1987-88 के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

(ग) वर्ष 1984-1985 तथा 1986 के दौरान राजभाषा विभाग से लगभग 387 पत्र, आदेश, आदि प्राप्त हुए थे और उन पर उपयुक्त कार्रवाई की गई थी।

(घ) इस प्रकार के आंकड़े/सूचना नहीं रखी जाती।

Development of new pesticides/pesticide formulations

544. SHRI B. SATYANARAYAN REDDY:
SHRI PARVATHANENI UPENDRA;

Will the PRIME MINISTER be pleased to state;

(a) whether the National Chemical Laboratory under the Council of Scientific and Industrial Research has developed new pesticides is making any research in the development of pesticide formulations which can replace the existing ones which have become ineffective or environmentally hazardous; and